<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–145/2019</u>

दहाड़ी यादव एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

प्रमोद यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>17.03.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से एक आवेदन दिनांक 10.02.21 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **''नो आब्जेक्शन''** लिखा गया है।

प्रतिवादी संख्या–2 का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.08.20 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। बयान तहरीरी के अवलोकन से यह पता चला कि बयान तहरीरी के मद नं0–ग में दक्षिण चौहदी में टाईपिस्ट की गलती से गलत टाइप हो गया है, जिसका सुधार न्याय हित में आवश्यक है। संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। अतः आवेदन में वर्णित तथ्यों को बयान तहरीरी में जोड़ने की अनुमति दी जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा इसके स्वीकृत होने से वादीगण को कोई विधिक नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत आवेदनानुसार बयान तहरीरी में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 15.04.21

अवर न्यायाधीश (प्रथम)